राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 992/2005

रामलाल शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज, जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जयपुर शहर, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.09.2005
आदेश की दिनांक : 01.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र प्रसाद, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 18.07.2005 द्वारा अपीलार्थी के संबंध में जारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को चुनौति देते हुए प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 13.07.1979 को कांस्टेबल के पद पर हुई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.01.1986 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को गैलेन्ट्री पदोन्नति दी जाकर हैड कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.02.1987 (अनुलग्नक–2) के द्वारा हैड कांस्टेबल के पद पर दी गई पदोन्नति को दिनांक 30.07.1986 से नियमति किया गया। अपीलार्थी को हेड कांस्टेबल के पद पर रहते हुए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इसके पश्चात अपीलार्थी को सन् 1989 में परिनिन्दा के दण्ड से एवं सन् 1992 में एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव के रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया। अपीलार्थी को दिनांक 13.09.1996 (अनुलग्नक–3) के द्वारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया इस दौरान अपीलार्थी को समय–समय पर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अपीलार्थी को सहायक उप निरीक्षक के पद पर रहते हुऐ एक सितम्बर,1999 में परिनिन्दा एवं अक्टूबर,1999 में एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव के रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.07.2004 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को सेवा से निलम्बित कर दिया गया तथा आदेश

क्रमांक 12553–60 दिनांक 18.07.2005 (अनुलग्नक–5) के द्वारा निलम्बन को बहाल कर दिया गया। उक्त निलम्बन आदेश के संदर्भ में अपीलार्थी के विरूद्ध आज दिनांक तक कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है, तत्पश्चात प्रत्यर्थी विभाग के आदेश क्रमांक 5283 दिनांक 18.07.2005 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी को बिना किसी औचित्य के मनमाने तरीके से प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा राजस्थान सिविल सर्विस (पेंशन रूल्स) 1996 की धारा 53(1) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि उसे सम्पूर्ण सेवाकाल में केवलमात्र चार बार परिनिन्दा के दण्ड से एवं तीन बार बिना भविष्यवर्ती प्रभाव के वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने का दण्डादेश दिया गया था जबकि पुलिस विभाग में वर्तमान में अनेक व्यक्ति सेवा में बने हुए हैं जिन्हें उक्त दण्डादेशों से अधिक दण्डादेश प्राप्त हुए हैं जिन्हें लगभग 10 या उससे अधिक दण्डादेश दिये गये है। इसके बावजूद भी सभी पुलिसकर्मी सेवा में बने हुए हैं। अपीलार्थी को राजकीय आवास जो पुलिस लाईन के पीछे, पारीक कॉलेज रोड, चांदपोल जयपुर में मिला हुए है अब विभाग उससे उक्त निवास स्थान खाली करवाना चाहता है अपीलार्थी के पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई रहने की व्यवस्था नहीं है और वह बेघर हो जायेगा। अपीलार्थी में माता–पिता अत्यंत वृद्ध हैं एवं बीमार रहते हैं तथा उसके छोटे पुत्र के लंग्स खराब है जिसका ईलाज वर्तमान में जारी है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश क्रमांक 5283 दिनांक 18.07.2005 (अनुलग्नक–6) को अपास्त किया जावे एवं परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश प्रदान किया जावे कि अपीलार्थी को पुनः राजकीय सेवा में लिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्क्रीनिंग कमेटी एवं रिव्यू कमेटी दोनों के द्वारा अपीलार्थी के सम्पूर्ण सेवा रिकॉर्ड का अवलोकन कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अभिशंषा की गई थी तत्पश्चात् सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.07.2005 के द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया था। अपीलार्थी का कथन है कि उसे अपने पूरे सेवाकाल में मामूली सजा के साथ केवल चार बार दडिंत किया गया था जबकि अपीलार्थी को सम्पूर्ण सेवा काल में छः बार दण्डित किया गया है, जो निम्नानुसार है। (1) प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.10.1999 (अनुलग्नक–आर/1) द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। (2) प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.1994 (अनुलग्नक–आर/2) द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। (3) प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.09.1995 (अनुलग्नक–आर/3) द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। (4) प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.12.1997 (अनुलग्नक–आर/4) द्वारा अपीलार्थी को सेंसर के दण्ड से दण्डित किया गया। (5) प्रत्यर्थी विभाग के दो

आदेश दिनांक 31.05.1993 (अनुलग्नक–आर/5) के द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से तथा एक में परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। (6) प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.06.1984 (अनुलग्नक–आर/6) के द्वारा अपीलार्थी को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। अपीलार्थी के वैशाली नगर पुलिस थाना में पदस्थापन के दौरान रामकरण नाम के व्यक्ति से रिश्वत लेते हुए एसीडी द्वारा रंगे हाथों पकडे जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 162/04 दर्ज की गई थी जिसका ब्यूरो द्वारा चालान माननीय न्यायालय में दिनांक 08.03.2006 को प्रस्तुत किया गया था जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलार्थी के समस्त रिकार्ड का अवलोकन एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाने योग्य है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी विभाग के जवाब का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के प्रकरण में प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 07.03.2001 की पालना में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी/मंत्री से अनुमोदन नहीं करवाया गया है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि यदि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी/मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया है, तो वह प्रस्तुत करावे। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.07.2005 के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सेवा काल में स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने, परिवाद की जांच निर्धारित समय पर नहीं करने उच्च अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करने और अनुषंधान समय न कर न्यायालय में चालान कई महिनों बाद प्रस्तुत करने संबंधी अनियमिताओं के कारण सात आरोप पत्र राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत दिये गये जिनमें चार आरोप पत्रों में परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया तथा तीन आरोप पत्रों में वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया है। रिश्वत लेने के आरोप में अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या 162/2004 में माननीय न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। उन तथ्यों यथा अपीलार्थी को जारी दण्डादेश एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज प्रकरणों की तथ्यात्मक स्थिति से अपीलार्थी की कोई असहमति नहीं है। इनके आधार पर अपीलार्थी के द्वारा राज्य कार्य में लापरवाही, उदासीनता बरतने, राज कार्य में रूचि नहीं लेने एवं अनुशासनहीनता के कारण राज्यहित व लोकहित में स्क्रीनिंग कमेटी एवं रिव्यू कमेटी द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम– 53(1) के

तहत अनिवार्य सेवानिवृत्त करने की अनुषंशा की गई है। तत्पश्चात प्रकरण उच्च स्तरीय समिति को गृह विभाग को प्रेषित किया गया था। जिसकी कार्योत्तर सहमति गृह (ग्रुप–1) के पत्र दिनांक 26.04.2006 से प्राप्त हो चुकी है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को नियमानुसार सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया की पालन करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गए हैं उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की संभावना परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 01.02.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)